कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

संख्या–एम0ई0–3/पीजी–2016/1268 लखनऊः दिनांक 26 मई 2016

यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2016 की संशोधित मेरिट सूची के अनुसार De novo काउंसिलिंग की समय सारणी

विशेष अनुज्ञा याचिका सी0 संख्या–13832/2016 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम डा0 दिनेश सिंह चौहान में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.5.2016 एवं 26.5.2016 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 04 अप्रैल 2016 से 08 अप्रैल 2016 तक आयोजित यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0 2016 की प्रथम चक की काउंसिलिंग एवं प्रवेश को निरस्त करते हुए मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संशोधित मेरिट सूची के अनुसार De novo काउंसिलिंग की समय सारिणी निम्नवत निर्धारित की जाती है:–

काउंसिलिंग केन्द्र– किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ

आमंत्रित अभ्यर्थियों को दिनांक 27मई 2016 को अपनी संशोधित स्टेट रैंक के अनुसार प्रातः 11:00 बजे काउंसिलिंग केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है।

क0सं0	आमंत्रित अभ्यर्थी (स्टेट रैंक)	काउंसिलिंग तिथि	पाठ्यक्रम
1	संशोधित ओवर आल स्टेट रैंक–01 से सभी अर्ह	दिनांक 27.5.2016 (दिन शुकवार) समय प्रातः 11:00 बजे से	MD/MS/PG Diploma

यू0पी0पी0जी0एम0ई0, 2016 डी0–नोवो काउंसिलिंग के सम्बन्ध में सामान्य निर्देषः–

- यह काउंसिलिंग विषेष अनुज्ञा याचिका संख्या–13832/2016 उत्तर प्रदेष राज्य व अन्य बनाम डा0 दिनेष सिंह चौहान में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनॉक 12.5.2016 एवं 26.5.2016 को पारित आदेषों के अनुपालन में करायी जा रही है। इस काउंसिलिंग के माध्यम से होने वाले समस्त प्रवेष एवं प्रवेषों के निरस्तीकरण मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तिम आदेषों के अधीन होंगे।
- मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेषों के अनुपालन में एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1147/चि0–3–16–जी0–6/2013 दिनॉक 20.5.2016 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी 133 नामों की सूची एवं उनके सापेक्ष संस्तुत 30 प्रतिषत वेटेज़ के आधार पर यू0पी0पी0जी0एम0ई0, 2016 की मेरिट लिस्ट संषोधित की गयी है, जो कि महानिदेषक, चिकित्सा षिक्षा एवं आयोजक विष्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाषित किया गया है। डी0–नोवो काउंसिलिंग उक्त संषोधित मेरिट लिस्ट के आधार पर सम्पन्न करायी जायेगी।
- काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित छात्र/पी0एम0एच0एस0 चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त काउंसिलिंग के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर ही काउंसिलिंग/प्रवेष दिया जायेगा। काउंसिलिंग हेतु अलग से कोई सूचना/कॉल लेटर प्रेषित नहीं किया जायेगा।
- काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित छात्रों एवं पी0एम0एच0एस0 चिकित्साधिकारी को पूर्व की भॉति अभिलेखों का सत्यापन एवं बायोमेट्रिक जॉच की प्रकिया पूर्ण करनी होगी।
- इस काउंसिलिंग हेतु किसी प्रकार का शुल्क लागू नहीं होगा।
- यह काउंसिलिंग दिनॉक 27.5.2016, 28.5.2016 एवं 29.5.2016 (यदि आवष्यक हो) को आयोजित की जा रही है। दिनॉक 30.5.2016 के अपरान्ह ''माप–अप राउण्ड'' आयोजित की जायेगी।
- काउंसिलिंग के प्रथम दिन (27.5.2016) को सर्वप्रथम यू0पी0पी0जी0एम0ई0, 2016 के प्रथम चक की काउंसिलिंग (स्टेट कोटा) के माध्यम से प्रवेषित छात्रों के प्रवेष को विषेष अनुज्ञा याचिका

संख्या–13832/2016 में पारित आदेषों के क्रम में परीक्षणोंपरान्त निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। यह कार्यवाही यू0पी0पी0जी0एम0ई0 के काउसिंलिंग बोर्ड के समक्ष सम्पन्न करायी जायेगी।

- जिन छात्रों का प्रवेष निरस्त किया जायेगा उन्हें मौके पर ही सम्बन्धित कालेजों द्वारा मूल अभिलेख वापस किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।
- महानिदेषक, चिकित्सा षिक्षा एवं प्रषिक्षण द्वारा प्रकाषित सीट–चार्ट के आधार पर काउंसिलिंग की प्रकिया सम्पन्न की जायेगी। उक्त सीट–चार्ट विषेष अनुज्ञा याचिका संख्या–13832/2016 में पारित आदेषों के क्रम में निरस्त सीटों, अखिल भारतीय कोटा एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सीटों तथा पूर्व में पी0एम0एच0एस0 सवंर्ग हेतु चिन्हॉकित सीटों का समावेष करते हुए नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था लागू करते हुए तैयार की गयी है।
- एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार उपरोक्त सीट–चार्ट के आधार पर काउंसिलिंग संषोधित एकीकृत मेरिट लिस्ट के आधार पर करायी जायेगी। श्रेणी विषेष की निर्धारित सीटें समाप्त होने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग समाप्त हो जायेगी।
- उक्त काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेषित छात्रों को सम्बन्धित कालेजों में दिनॉक 29.5.2016 तक प्रवेष की औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली जानी होंगी। इस हेतु काउंसिलिंग केन्द्र के0जी0एम0यू0, लखनऊ में ही सभी कालेजों के एडमिषन–सेल स्थापित होंगे।
- काउंसिलिंग द्वारा संस्तुत समस्त पी0एम0एच0एस0 चिकित्साधिकारियों एवं छात्रों द्वारा नियमानुसार कार्य अवमुक्ति/एन0ओ0सी0/अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ दिनॉक 29.5.2016 तक सम्बन्धित संस्थानों/कालेजों में प्रवेष लिया जायेगा। उक्त अभिलेखों की अनुपलब्धि की दषा में किसी प्रकार की औपबन्धिक प्रवेष अनुमन्य नहीं होगा तथा उक्त प्रवेष की संस्तुति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा ऐसी सीट माप–अप–राउण्ड से भरी जायेगी। ऐसी दषा में पूर्व की भॉति बॉन्ड तथा धरोहर धनराषि की व्यवस्था लागू की जायेगी।
- तत्पष्चात् दिनॉक 30.5.2016 के अपरान्ह को यथावष्यक माप–अप–राउण्ड आयोजित किया जायेगा। दिनॉक 29.5.2016 तक जिन सीटों पर विधिवत प्रवेष प्रकियॉं सम्पन्न नहीं की गयी हों, उन्हें माप–अप–राउण्ड हेतु स्वतः स्वीकृत माने जायेंगे।
- माप–अप राउण्ड हेतु मात्र ऐसे छात्र/पी0एम0एच0एस0 चिकित्साधिकारी अर्ह होंगे, जिन्हें इस काउंसिलिंग के माध्यम से पूर्व में सीट आवंटित नहीं की गयी हो। इस राउण्ड में भी छात्रों /चिकित्साधिकारियों का संषोधित मेरिट लिस्ट के आधार पर ही बुलाया जायेगा।
- डी0–नोवो काउंसिलिंग की विषेष परिस्थितियों के दृष्टिगत् समस्त छात्रों से अनुरोध है कि निम्न समय–सारणी के अनुसार काउंसिलिंग केन्द्र पर उपस्थित रहें।
- उक्त सूचना चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की बेवसाइट www.updgme.in तथा के0जी0एम0यू0 लखनऊ की बेवसाइट www.kgmu.org; www. kgmu.edu.in पर प्रदर्शित रहेगी।

यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2016 के अन्तर्गत मॉप–अप राउण्ड की सूचना

यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2016 के अन्तर्गत रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) मे निहित प्राविधानों के अनुसार मॉप–अप राउण्ड दिनांक 30 मई 2016 को प्रातः 10:00 बजे से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयोजित की जाएगी, जिसमें मात्र वही अभ्यर्थी, जिन्हे अभी तक कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, सम्मिलित हो सकते हैं। मॉप अप राउण्ड में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश की कार्यवाही

काउंसिलिंग स्थल पर ही सम्पन्न की जानी है। अतः अभ्यर्थी अपने सभी मूल शैक्षिक अभिलेखों तथा कालेज में प्रवेश संबंधी शुल्क की व्यवस्था के साथ काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं।

महानिदेशक